न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री विजय सिंह चौहान पिता घेवर सिंह चौहान निवासी सागर ट्रेडिंग एण्ड बैट्री वर्क्स,बागलिया पो. तारागढ, तहसील व जिला ब्यावर।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला भीलवाडा।

प्रकरण संख्या :–119/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2025	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 03.07.2025 में वर्णित सूचना, के संबंध में तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील दिनांक 12.09.2025 को प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. तहसीलदार शाहपुरा लोक सूचना अधिकारी नहीं होकर सहायक लोक सूचना अधिकारी है। अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा में आवेदन प्रस्तुत कर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतू स्वंतत्र है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 15–09–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (जसमीत सिहं संधू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)	